



14

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर कैम्प उज्जैन (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक / 2017 निगरानी  
PBR) निगरानी / 2017 / उज्जैन / भू-25 / 2017 / 1938

बद्रीलाल पिता रामजीलाल पाटीदार,  
धंधा-कृषि, निवासी- ग्राम कलालखेड़ी  
तह. नागदा जिला उज्जैन (म.प्र.)

----- प्रार्थी

विरुद्ध

- 1 श्रीमती शारदाबाई पति रामनारायण पाटीदार,  
निवासी- ग्राम जलोदिया जागीर तह. नागदा  
जिला उज्जैन (म.प्र.)
- 2 श्रीमती वरदीबाई पति गौरीशंकर पाटीदार,  
निवासी- ग्राम पाड़सुतिया तह. खाचरौद  
जिला उज्जैन (म.प्र.)
- 3 अनोखीलाल पिता रामजीलाल पाटीदार,  
धंधा- कृषि, निवासी- ग्राम कलालखेड़ी  
तह. व जिला उज्जैन (म.प्र.)


----- प्रतिप्रार्थीगण

विद्वान अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी  
महोदय नागदा जिला उज्जैन के प्रकरण क्रमांक  
33/अपील/10-11 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक  
02/05/2017 से असंतुष्ट होकर धारा 50 म.प्र.भू.  
रा.संहिता के अंतर्गत निगरानी :-

माननीय महोदय,

निगरानीकर्ता की ओर से निम्नलिखित आधार पर निगरानी सादर

श्री चंद्र सिंह पंजाब  
एड. डा. के.के. उज्जैन  
म.प्र. उज्जैन  
21-6-17

  
21-7-17

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक PBR/निगरानी/उज्जैन/भू.रा./2017/1938

स्थान तथा दिनांक


कार्यवाही तथा आदेश

पक्षकारों एवं अभिभाषकों  
आदि के हस्ताक्षर

2-1-2018

आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 2-5-2017 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसील न्यायालय के आदेश में अवैधानिकता पाये जाने पर म.प्र. भू-राजस्व संहिता में हुए संशोधन के फलस्वरूप स्वयं प्रकरण में साक्ष्य लेकर गुण-दोष पर कार्यवाही प्रारम्भ की गई है, जिसमें कोई त्रुटि नहीं है । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अभी प्रकरण का निराकरण गुण-दोष पर किया जाना है, जिसके विरुद्ध आवेदक को अपील में उपचार उपलब्ध होगा । अतः यह निगरानी प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है ।



  
(मनोज गोयल)  
अध्यक्ष